राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1514/2017..... जिला .....जोधपुर.....

उनवान : मैसर्स माँ कृपा ग्रामोद्योग संस्थाान, जवासिया, पीपाड़सिटी, जोधपुर

बनाम

अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर विभाग, जोधपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/11/2017	<u>खण्डपीठ</u> <u>श्री के. एल. जैन, सदस्य</u> <u>श्री ओ. एस. आशिया, सदस्य</u> अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 36/JUB में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य मांग राशि रूपये 2,64,745/– की वसूली कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री पी. एम. चौपड़ा तथा राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन पर पाया कि करारोपण सम्बन्धी कोई विवरण नही दिया गया है। इसके पश्चात् अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी समुचित कारण एवं विवरण के एक विशिष्ठ राशि रूपये 8,25,000/– की वसूली स्थगित की एवं अवशेष रूपये 2,64,745/– को वसूली योग्य रखा गया जबकि प्रकरण में कोई भिन्न–भिन्न बिन्दु नहीं है, इस तरह अंशतः स्थगन दिया जाना विधिक नहीं होने से एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होने से **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में बकाया शेष राशि **रूपये 2,64,745/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	